राकेश मित्तल,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2 समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग–4 लखनऊ: दिनांक: 27 नवम्बर,2010

विषय:– नेशनल ई–गवर्नेन्स प्लान के अंतर्गत स्टेट सर्विस गेटवे/ई–फार्म्स योजना के अंतर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों में राजस्व विभाग की विभिन्न सेवाओं को कॉमन सर्विस सेन्टर (जन सेवा केन्द्र)/लोकवाणी केन्द्रों के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नेशनल ई–गवर्नेन्स प्लान के अंतर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों के ग्रामीण अंचलों में स्थापित किये जा रहे कॉमन सर्विस सेण्टर–सीएससी (जन सेवा केन्द्र)/लोकवाणी केन्द्रों के माध्यम से राजस्व विभाग की निम्नलिखित सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा उपलब्ध कराये जाने का शासन द्वारा निर्णय लिया गया है:–

- जाति प्रमाण पत्र का निस्तारण।
- आय प्रमाण पत्र का निस्तारण।
- निवास प्रमाण पत्र का निस्तारण।

उक्त सेवाओं के लिए संलग्नक के अनुसार व्यवस्था लागू की जाती है।

1. प्रदेश के 06 जनपदों यथा–गोरखपुर,सुल्तानपुर,सीतापुर,रायबरेली,गौतमबद्ध नगर एवं गाजियाबाद में पायलट ई–डिस्ट्रिक्ट योजना के अंतर्गत राजस्व विभाग से संबंधित शासनादेश पूर्व में निर्गत किये गये हैं। अतः इन 06 जनपदों में उक्त संबंधित सेवाएं पूर्व की भाँति ई–डिस्ट्रिक्ट योजना में प्राविधानित प्रक्रिया के अनुसार ही आच्छादित होती रहेंगी। अवशेष जनपदों में यह सेवा संलग्नक में दी गयी प्रक्रिया के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विधि से उपलब्ध कराई जायेगी। इसके अतिरिक्त अन्य सेवायें नयी व्यवस्था के अंतर्गत समस्त जनपदों में (ई–डिस्ट्रिक्ट जनपदों को भी सम्मिलित करते हुये) लागू की जायेगी।

2. भविष्य में 06 जनपदों में लागू ई–डिस्ट्रिक्ट योजना को प्रदेश के अन्य जनपदों की भाँति रोलआउट किया जाना प्रस्तावित है, जिसके उपरान्त उक्त प्रक्रियाओं का पूर्ण रूप से बैक ऑफिस आटोमेशन हो जायेगा तथाउसके उपरान्त उक्त सेवायें 06 जनपदों की भाँति ई–डिस्ट्रिक्ट के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही होने लगेगी जिसके संबंध में तत्समय अलग से आदेश पारित किये जायेंगे।

-2-

3. उपरोक्त नवीन व्यवस्था के अंतर्गत संदर्भित सेवायें इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी सिस्टम से आम जनमानस को उपलब्ध करायी जायेगी। इस हेतु आवश्यक है कि इन सेवाओं को उपलब्ध कराने हेतु जनपद स्तर के सक्षम अधिकारियों के पास डिजिटल सिग्नेचर हो। ऐसे अधिकारियों को डिजिट सिग्नेचर एन0आई0सी0 द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे जिसके लिए जनपद स्तर के संबंधित अधिकारियों को निर्धारित प्रारूप पर आवेदन करते हुये सक्षम स्तर से प्रमाणित एवं अग्रसारित कराते हुये एनआईसी को उपलब्ध कराना होगा। इस हेतु जिला स्तर पर एनआईसी के जिला सूचना विज्ञान अधिकारियों (डीआईओ) से सम्पर्क स्थापित कर सहायता प्राप्त की जा सकती है। सेवा से संबंधित अधिकारी के स्थानान्तरण के उपरान्त डिजिटल सिग्नेचर में परिवर्तन के लिए आवश्यक प्रक्रिया जनपद स्तर के अधिकारियों को ही करनी होगी जिसके लिए संबंधित जनपद के डीआईओ, एनआईसी से सहयोग प्राप्त किया जा सकता है।

4. राजस्व विभाग की उपरोक्त लिखितसेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से निर्गत करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया संलग्नक–1 के अनुसार प्रतिपादित होगी।

5. खसरा, खतौनी एवं मैप के आवेदन के निस्तारण के संबंध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

6. कृपया तदनुसार शीघ्र आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने तथा कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
(के0के0 सिन्हा)
प्रमुख सचिव।

संख्या–2588(1)/1–4–10–458 बी–4/10, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक, यूपी ऑस्को एवं राज्य प्रबन्धक, सेन्टर फॉर ई–गवर्नेन्स, उ0प्र0 लखनऊ।
4. श्री एस0बी0 सिंह, उप महानिदेशक एवं एस0आई0ओ0, एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश को इस आशय से कि वे शासनादेश की व्यवस्थाओं को कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
6. मेसर्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एण्ड फाइनेन्स सर्विसेज लि0 (आई0एल0एण्ड एफ0एस0 लि0), लखनऊ।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(मधु जोशी)
उप सचिव।

3. उपरोक्त नवीन व्यवस्था के अंतर्गत संदर्भित सेवायें इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी सिस्टम से आम जनमानस को उपलब्ध करायी जायेगी। इस हेतु आवश्यक है कि इन सेवाओं को उपलब्ध कराने हेतु जनपद स्तर के सक्षम अधिकारियों के पास डिजिटल सिग्नेचर हो। ऐसे अधिकारियों को डिजिट सिग्नेचर एन0आई0सी0 द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे जिसके लिए जनपद स्तर के संबंधित अधिकारियों को निर्धारित प्रारूप पर आवेदन करते हुये सक्षम स्तर से प्रमाणित एवं अग्रसारित कराते हुये एनआईसी को उपलब्ध कराना होगा। इस हेतु जिला स्तर पर एनआईसी के जिला सूचना विज्ञान अधिकारियों (डीआईओ) से सम्पर्क स्थापित कर सहायता प्राप्त की जा सकती है। सेवा से संबंधित अधिकारी के स्थानान्तरण के उपरान्त डिजिटल सिग्नेचर में परिवर्तन के लिए आवश्यक प्रक्रिया जनपद स्तर के अधिकारियों को ही करनी होगी जिसके लिए संबंधित जनपद के डीआईओ, एनआईसी से सहयोग प्राप्त किया जा सकता है।

4. राजस्व विभाग की उपरोक्त लिखितसेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से निर्गत करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया संलग्नक–1 के अनुसार प्रतिपादित होगी।

5. खसरा, खतौनी एवं मैप के आवेदन के निस्तारण के संबंध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

6. कृपया तदनुसार शीघ्र आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने तथा कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
(के0के0 सिन्हा)
प्रमुख सचिव।

संख्या–2588(1)/1–4–10–458 बी–4/10, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक, यूपी डेस्को एवं राज्य समन्वयक, सेन्टर फॉर ई–गवर्नेन्स, उ0प्र0 लखनऊ।
4. श्री एस0बी0 सिंह, उप महानिदेशक एवं एस0आई0ओ0, एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश को इस आशय से कि वे शासनादेश की व्यवस्थाओं को कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
6. मेसर्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एण्ड फाइनेन्स सर्विसेज लि0 (आई0एल0एण्ड एफ0एस0 लि0), लखनऊ।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(मधु जोशी)
उप सचिव।

नेशनल ई-गवर्नेन्स प्लान के अन्तर्गत स्टेट सर्विस डिलीवरी गेटवे/ई-फार्म्स योजना के अंतर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों में राजस्व विभाग की विभिन्न सेवाओं को कॉमन सर्विस सेण्टर (जन सेवा केन्द्र)/लोकवाणी केन्द्रों के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने की प्रक्रिया।

1. **जाति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश**

क. अभ्यर्थी को अपने निकटतम कॉमन सर्विस सेन्टर/लोकवाणी केन्द्रों में जाकर केन्द्र के आपरेटर को एक निर्धारित प्रारूप पर (जो कि आपरेटर के पास उपलब्ध रहेगा) सेवा हेतु अनुरोध करना होगा।

ख. अभ्यर्थी को अपने पहचान से संबधित प्रमाण-पत्र केन्द्र के आपरेटर को प्रस्तुत करना होगा। केन्द्र के आपरेटर द्वारा सभी आवश्यक विवरण अभ्यर्थी से प्राप्त करने के उपरान्त सेवा से संबंधित ई-फार्म में भरा जायेगा। इसमें आयु, परिवार का विवरण एवं आवश्यकतानुसार आवेदक का बी0पी0एल0 क्रमांक दर्ज होगा।

ग. अभ्यर्थी द्वारा दिये गये अभिलेखों को केन्द्र के आपरेटर द्वारा स्कैन किया जायेगा। केन्द्र के आपरेटर द्वारा अभ्यर्थी की फोटो भी वेब कैमरा द्वारा लिया जायेगा।

घ. फार्म में सभी प्रविष्टियों को पूर्ण करने के उपरान्त केन्द्र के आपरेटर द्वारा आवेदक को उसका प्रिन्ट आउट पुष्टि के लिए उपलब्ध कराया जायेगा।

ङ. अभ्यर्थी द्वारा फार्म में उल्लिखित सभी प्रविष्टियों की चेक कर उसकी पुष्टि की जायेगी। फार्म पर प्रविष्टियाँ सही पाए जाने पर आवेदक अपने हस्ताक्षर करेगा या अपने अंगूठे का निशान लगाएगा। केन्द्र के आपरेटर द्वारा आवेदक को कम्प्यूटर द्वारा जनरेटर एक पावती रसीद एकनॉलेजमेन्ट जिस पर एक यूनिक नम्बर अंकित होगा, जिसका उपयोग आवेदक द्वारा भविष्य के संदर्भ के लिए किया जायेगा, केन्द्र द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

च. कॉमन सर्विस सेन्टर/लोकवाणी केन्द्रों द्वारा सेवा हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदक द्वारा दी गयी सूचनाओं को ई-फार्म एप्लीकेशन के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक विधि से ई-फार्म साफ्टवेयर का प्रयोग करते हुए संबंधित सक्षम अधिकारी/कार्यालय तहसीलदार को प्रेषित किया जायेगा।

छ. तहसीलदार ई-फार्म एप्लीकेशन पोर्टल को नित्य लाग ऑन कर यह देखेंगे जाति प्रमाण पत्र हेतु कोई आवेदन पत्र लंबित तो नहीं है।

ज. तहसीलदार लंबित आवेदन पत्र एवं उसके विवरण का परीक्षण कर यह निर्धारित करेंगे कि आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है अथवा नहीं अथवा किसी और सूचना की आवश्यकता है।

झ. यदि तहसीलदार द्वारा किसी आवेदन को स्वीकृत/निरस्त किया जाता है, तो उनके द्वारा निरस्तीकरण का कारण का उल्लेख करते हुए ई-फार्म एप्लीकेशन पोर्टल पर अपडेट करेंगे।

ञ. तहसीलदार द्वारा आवेदक के क्षेत्र के संबंधित लेखपाल/राजस्व निरीक्षक के माध्यम से आवेदक की जाति का भौतिक सत्यापन कराया जायेगा।

ट. लेखपाल/राजस्व निरीक्षक द्वारा एक सप्ताह में भौतिक सत्यापन कर उसकी आख्या तहसीलदार को प्रस्तुत करेंगे।

ठ. तहसीलदार द्वारा सूचना/आख्या का सत्यापन विवरण से संतुष्ट होने के उपरान्त प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।

ड. जारी किये प्रमाण पत्र सक्षम कार्यालय से जनसेवा केन्द्र के संचालक को अथवा जनसेवा केन्द्रों के संचालकों की ओर से किसी अधिकृत प्रतिनिधि अथवा एस0सी0ए0 के प्रतिनिधि को प्राप्त करना होगा।

ङ. आवेदक द्वारा कामन सर्विस सेन्टर पर अपने आवेदन पत्र का नम्बर देकर अपना प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है।

2. आय प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के संबंध में दिशा-निर्देश

क. अभ्यर्थी को अपने निकटतम कॉमन सर्विस सेन्टर/लोकवाणी केन्द्रों में जाकर केन्द्र के आपरेटर को एक निर्धारित प्रारूप पर (जो कि आपरेटर के पास उपलब्ध रहेगा) सेवा हेतु अनुरोध करना होगा।

ख. अभ्यर्थी को अपने पहचान से संबंधित प्रमाण-पत्र केन्द्र के आपरेटर को प्रस्तुत करना होगा। केन्द्र के आपरेटर द्वारा सभी आवश्यक विवरण अभ्यर्थी से प्राप्त करने के उपरान्त सेवा से संबंधित ई-फार्म में भरा जायेगा। इसमें आयु, परिवार का विवरण एंव आवश्यकतानुसार आवेदक का बी0पी0एल0 कमांक दर्ज होगा।

ग. अभ्यर्थी द्वारा दिये गये अभिलेखों को केन्द्र के आपरेटर द्वारा स्कैन किया जायेगा। केन्द्र के आपरटर द्वारा अभ्यर्थी की फोटो भी वेब कैमरा द्वारा लिया जायेगा।

घ. फार्म में सभी प्रविष्टियों को पूर्ण करने के उपरान्त केन्द्र के आपरेटर द्वारा आवेदक को उसका प्रिन्ट आउट पुष्टि के लिए उपलब्ध कराया जायेगा।

ङ. अभ्यर्थी द्वारा फार्म में उल्लिखित सभी प्रविष्टियों को चेक कर उसकी पुष्टि की जायेगी। फार्म पर प्रविष्टियाँ सही पाए जाने पर आवेदक अपने हस्ताक्षर करेगा या अपने अंगूठे का निशान लगाएगा। केन्द्र के आपरेटर द्वारा आवेदक को कम्प्यूटर द्वारा जनरेटर एक पावती रसीद एकनॉलेजमेन्ट जिस पर एक यूनिक नम्बर अंकित होगा, जिसका उपयोग आवेदक द्वारा भविष्य के संदर्भ के लिए किया जाएगा, केन्द्र द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

च. कॉमन सर्विस सेन्टर/लोकवाणी केन्द्रों द्वारा सेवा हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदक द्वारा दी गयी सूचनाओं को ई-फार्म एप्लीकेशन के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक विधि से ई-फार्म साफ्टवेयर का प्रयोग करते हुए संबंधित सक्षम अधिकारी/कार्यालय तहसीलदार को प्रेषित किया जायेगा।

छ. तहसीलदार ई-फॉर्म एप्लीकेशन पोर्टल को नित्य लाग ऑन कर यह देखेंगे आय प्रमाण पत्र हेतु कोई आवेदन पत्र लंबित तो नहीं है।

ज. तहसीलदार लंबित आवेदन पत्र एवं उसके विवरण का परीक्षण कर यह निर्धारित करेंगे कि आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है अथवा नहीं अथवा किसी और सूचना की आवश्यकता है।

झ. यदि तहसीलदार द्वारा किसी आवेदन को स्वीकृत/निरस्त किया जाता है, तो उनके द्वारा निरस्तीकरण का कारण का उल्लेख करते हुए ई-फार्म एप्लीकेशन पोर्टल पर अपडेट करेंगे ताकि आवेदक अपने आवेदन की स्थिति समय-समय पर कामन सर्विस सेन्टर पर जाकर प्राप्त कर सके।

ञ. तहसीलदार द्वारा आवेदक के क्षेत्र से संबंधित लेखपाल/राजस्व निरीक्षक के माध्यम से आवेदक की जाति का मौतिक सत्यापन कराया जायेगा।

ट. लेखपाल/रालस्व निरीक्षक द्वारा एक सप्ताह में मौतिक सत्यापन कर उसकी आख्या तहसीलदार को प्रस्तुत करेंगे।

ठ. तहसीलदार द्वारा सूचना/आख्या का सत्यापन विवरण से संतुष्ट होने के उपरान्त प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।

ड. जारी किये प्रमाण पत्र सक्षम कार्यालय से जनसेवा केन्द्र के संचालक को अथवा जनसेवा केन्द्रों के संचालकों की ओर से किसी अधिकृत प्रतिनिधि अथवा एस0सी0ए0 के प्रतिनिधि को प्राप्त करना होगा।

ढ. आवेदक द्वारा कॉमन सर्विस सेन्टर पर अपने आवेदन पत्र का नम्बर देकर अपना प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है।

3. सामान्य निवास प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के संबंध में दिशा–निर्देश–

क. अभ्यर्थी को अपने निकटतम कामन सर्विस सेन्टर/लोकवाणी केन्द्रों में जाकर केन्द्र के आपरेटर को एक निर्धारित प्रारूप पर (जो कि आपरेटर के पास उपलब्ध रहेगा) सेवा हेतु अनुरोध करना होगा।

ख. अभ्यर्थी को अपने पहचान से संबंधित प्रमाण पत्र केन्द्र के आपरेटर को प्रस्तुत करना होगा। केन्द्र के आपरेटर द्वारा सभी आवश्यक विवरण अभ्यर्थी से प्राप्त करने के उपरान्त सेवा से संबंधित ई–फार्म में भरा जायेगा। इसमें आयु,पता एवं परिवार का विवरण दर्ज होगा।

ग. अभ्यर्थी द्वारा दिये गये अभिलेखों को केन्द्र के आपरेटर द्वारा स्कैन किया जायेगा। केन्द्र के आपरेटर द्वारा अभ्यर्थी की फोटो भी वेब कैमरा द्वारा लिया जायेगा।

घ. फार्म में सभी प्रविष्टियों को पूर्ण करने के उपरान्त केन्द्र के आपरेटर द्वारा आवेदक को उसका प्रिन्ट आउट पुष्टि के लिए उपलब्ध कराया जायेगा।

ङ. अभ्यर्थी द्वारा फार्म में उल्लिखित सभी प्रविष्टियों को चेक कर उसकी पुष्टि की जायेगी। फार्म पर प्रविष्टियाँ सही पाये जाने पर आवेदक अपने हस्ताक्षर करेगा या अपने अंगूठे का निशान लगाएगा। केन्द्र के आपरेटर द्वारा आवेदक को कम्प्यूटर द्वारा जनरेटर एक पावती रसीद एकनॉलेजमेन्ट जिस पर एक यूनिक नम्बर अंकित होगा, जिसका उपयोग आवेदक द्वारा भविष्य के संदर्भ के लिए किया जाएगा, केन्द्र द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

च. कामन सर्विस सेन्टर/लोकवाणी केन्द्रों द्वारा सेवा हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदक द्वारा दी गयी सूचनाओं को ई–फार्म एप्लीकेशन के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक विधि से ई–फार्म साफ्टवेयर का प्रयोग करते हुए संबंधित सक्षम अधिकारी/कार्यालय उपजिलाधिकारी को प्रेषित किया जायेगा।

छ. उपजिलाधिकारी ई–फार्म एप्लीकेशन पोर्टल को नित्य लाग ऑन कर यह देखेंगे निवास प्रमाण पत्र हेतु कोई आवेदन पत्र लंबित तो नहीं है।

ज. उपजिलाधिकारी लंबित आवेदन पत्र एवं उसके विवरण का परीक्षण कर यह निर्धारित करेंगे कि आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है अथवा नहीं अथवा किसी और सूचना की आवश्यकता है।

झ. यदि उपजिलाधिकारी द्वारा किसी आवेदन को स्वीकृत/निरस्त किया जाता है तो उनके द्वारा निरस्तीकरण का उल्लेख करते हुए ई–फार्म एप्लीकेशन पोर्टल पर अपडेट करेंगे ताकि आवेदक अपने आवेदन की स्थिति समय–समय पर कामन सर्विस सेन्टर पर जाकर प्राप्त कर सके।

ञ. उपजिलाधिकारी द्वारा आवेदक के क्षेत्र से संबंधित लेखपाल/राजस्व निरीक्षक के माध्यम से आवेदक की जाति का भौतिक सत्यापन कराया जायेगा।

ट. लेखपाल/रालस्व निरीक्षक द्वारा एक सप्ताह में भौतिक सत्यापन कर उसकी आख्या उपजिलाधिकारी को प्रस्तुत करेंगे।

ठ. उपजिलाधिकारी द्वारा सूचना/आख्या का सत्यापन विवरण से संतुष्ट होने के उपरान्त प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।

ड. जारी किये प्रमाण पत्र सक्षम कार्यालय से जनसेवा केन्द्र के संचालक को अथवा जनसेवा केन्द्रों के संचालकों की ओर से किसी अधिकृत प्रतिनिधि अथवा एस0सी0ए0 के प्रतिनिधि को प्राप्त करना होगा।

ङ आवेदक द्वारा ऑनलाइन सर्विस सेन्टर पर अपने आवेदन पत्र का नम्बर देकर अपना प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है।

कृपया उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

(मधु जोशी)
उप सचिव।